भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या:1322
06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान कार्डधारकों की वैधता

1322. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयुष्मान कार्ड मोटे तौर पर केवल सरकारी अस्पतालों में ही मान्य है और ऐसे कार्डधारकों को अक्सर निजी अस्पतालों में प्राथमिकता नहीं दी जाती है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) क्या सरकार को ऐसे मामलों की भी जानकारी है जहां सरकार द्वारा अस्पतालों को बकाया राशि के भुगतान में विलंब के कारण आयुष्मान कार्डधारक रोगियों को निजी अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ऐसे अस्पतालों की पहचान करने और उन्हें गंभीर रूप से दंडित करने का कोई प्रावधान है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक ऐसे कितने अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

<u>उत्तर</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थी 33,270 से अधिक सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनलबद्धता के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, पैनलबद्ध अस्पताल योजना के पात्र लाभार्थियों को उपचार देने से मना नहीं कर सकते। पैनलबद्ध अस्पताल द्वारा उपचार से मना किए जाने की स्थिति में, लाभार्थी केंद्रीय शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस) या 24*7 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14555 के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का उपयोग करने में लाभार्थियों को आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है। प्रत्येक स्तर पर, शिकायतों के निवारण के लिए नामित नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण समितियां हैं।

*****